[2018] 14 एस.सी.आर. 351

गगनदीप सिंह

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 11365/2018) 27 नवंबर, 2018

[कुरियन जोसेफ और एस अब्दुल नज़ीर, जेजे।

सेवा कानून – आरक्षित रिक्ति के खिलाफ नियुक्ति – अधिकार – बाल्मीकि/मजबी सिख की आरक्षित श्रेणी से संबंधित अपीलकर्ता जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए चयन सूची में नंबर 3 पर था – बाल्मीकि/मजबी सिख के लिए आरक्षित रिक्ति के खिलाफ नियुक्त एक 'जीएस' ने एक साल बाद इस्तीफा दे दिया – अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में कहा गया है कि विभाग द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में, सृजित रिक्ति को उसी समुदाय के अगले उपलब्ध व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए और नंबर 2 उम्मीदवार रुचि नहीं रखते हैं, अतः अपीलकर्ता को नियुक्त किया जाना चाहिए – विभाग ने तर्क दिया कि एक बार नियुक्ति होने के बाद, आरक्षित बिंदु का उपभोग कर लिया गया था, इसलिए अपीलकर्ता पर विचार नहीं किया जा सकता है – रिट याचिका खारिज कर दी गई – माना: किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए निहित अधिकार नहीं है – लेकिन एक ही समय में, नियुक्ति प्राधिकारी चयन सूची तैयार करने के पूरे उद्देश्य को विफल नहीं कर सकता है – यदि चयन सूची की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति उत्पन्न हुई थी, तो निर्देशों के अनुसार, चयन सूची में अगले उपलब्ध उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की वैध उम्मीद थी – रिक्ति 2016 में नए चयन के शुरू होने से पहले 2014 में उत्पन्न हुई थी – यहां तक कि बाद के चयन के लिए भी, बाल्मीकि/मजबी सिख के लिए आरक्षित पद अधिसूचित नहीं किया गया था – इसलिए, बाल्मीकि/मजबी सिख के लिए आरक्षित स्लॉट अभी भी उपलब्ध था और निर्देशों के अनुसार, राज्य को मेरिट सूची से आरक्षित समुदाय से उस रिक्ति को भरना होगा – यदि नंबर 2 को रुचि नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से यह अपीलकर्ता के पास जाएगा – उत्तरदाताओं को 20.06.2012 को प्रकाशित मेरिट सूची से वाल्मीकि/मजबी सिख के संबंध में नियुक्ति करना होगा – सिद्धांत / वैध अपेक्षा का सिद्धांत।

अपील का निस्तारण करते हुए, अदालत ने कहा–

1.1 किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए निहित अधिकार नहीं है। लेकिन साथ ही, नियुक्ति प्राधिकारी चयन सूची तैयार करने के पीछे के पूरे निर्देश और उद्देश्य को विफल नहीं कर सकता है। यदि सूची की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति उत्पन्न हुई थी,

चयन सूची में अगले उपलब्ध उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की वैध अपेक्षा और दावा था। 2016 में नए सिरे से चयन शुरू होने से पहले 2014 में रिक्ति उत्पन्न हुई थी। यहां तक कि बाद के चयन के लिए भी बाल्मीकि/मजबी सिख के लिए आरक्षित पद को अधिसूचित नहीं किया गया था. आरक्षण अन्य अनुसूचित जातियों के लिए है। बाल्मीकि/मजबी सिख के लिए आरक्षित स्लॉट अभी भी उपलब्ध है और निर्देश के अनुसार, इसे मेरिट सूची से भरना होगा। राज्य ने बताया कि अपीलकर्ता विचार के लिए अगला व्यक्ति नहीं था। यह एक एमएस (नंबर 2) है और उन्होंने भी एक प्रतिनिधित्व दिया था। चूंकि स्लॉट उपलब्ध है, इसलिए राज्य को मेरिट सूची से आरक्षित समुदाय से उस रिक्ति को भरना होगा। यदि नंबर 2 रुचि नहीं रखता है, तो स्वाभाविक रूप से यह अपीलकर्ता के पास जाएगा। [पैरा 4] [353–जी–एच; 354–ए–सी]

1.2 प्रतिवादियों को दिनांक 20.06.2012 को प्रकाशित मेरिट सूची से वाल्मीकि/मजबी सिख के संबंध में नियुक्ति करने का निदेश दिया जाता है। आवश्यक कार्य दो महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। [पैरा 5] [354–सी–डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 11365/2018

2016 (ओ एंड एम) के एलपीए संख्या 938 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 22.03.2017 के निर्णय और आदेश से।

आर. के. कपूर, सुश्री रेखा गिरी, सुश्री खेयाली, अनीस अहमद खान, अपीलकर्ता के वकील।

सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री भावना दुहून, उत्तरदाताओं के लिए सलाहकार।

न्यायालय का निर्णय कुरियन, जे.1 द्वारा दिया गया था। अनुमति स्वीकृत।

2. अपीलकर्ता जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए चयन सूची में नंबर 3 था। वह बाल्मीकि/मजभी सिख के आरक्षित वर्ग से आते हैं। चयन पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा 21.12.2010 के विज्ञापन के साथ शुरू हुआ। लिखित परीक्षा वर्ष 2012 में आयोजित की गई थी। एक गुरप्रीत सिंह को आरक्षित रिक्ति (बाल्मीकि/मजबी सिख) के खिलाफ नियुक्त किया गया था। एक वर्ष के बाद उन्होंने 25.04.2014 को पद से इस्तीफा दे दिया। अपीलकर्ता के अनुसार, इस प्रकार सृजित रिक्ति को अगले उपलब्ध पंजाब राज्य और अन्य द्वारा भरा जाना चाहिए।

उसी समुदाय का व्यक्ति। अपीलकर्ता का यह भी मामला है कि यद्यपि अपीलकर्ता चयन सूची में नंबर 3 है, नंबर 2 (मनजिंदर सिंह) दिलचस्पी नहीं ले रहा है और मुकदमे को आगे नहीं बढ़ा रहा है, अपीलकर्ता को नियुक्त किया जाना चाहिए। विभाग ने अपीलकर्ता के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक बार नियुक्ति हो जाने के

बाद, आरक्षित बिंदु का उपभोग किया गया था और इसलिए अपीलकर्ता पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता को नियुक्ति का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं है और रिक्ति को फिर से विज्ञापित किया जाना चाहिए।

3. इंट्रा कोर्ट अपील में, आक्षेपित निर्णय के अनुसार, डिवीजन बेंच ने इस दलील पर ध्यान दिया कि बाद में चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इस प्रकार अपील को खारिज कर दिया गया।

4. अपीलकर्ता का यह तर्क है कि कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 08.04.1980 को जारी दिशा–निर्देशों और दिनांक 10.01.1996 के बाद के निर्देशों के अनुसार, आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार द्वारा भरे गए बिंदु और बाद में इस्तीफे या अन्यथा के कारण खाली किए गए बिंदु को उपभोग नहीं माना जा सकता है। इसे चयन सूची में उपलब्ध उम्मीदवारों में से भरा जाना है। दिनांक 10.01.1996 के निर्देशों से संबंधित पैरा को उद्धृत करते हुए:

"इन निर्देशों के अनुसार, आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार द्वारा भरे गए बिंदु और बाद में इस्तीफे के कारण या अन्यथा पदधारी द्वारा खाली किए गए बिंदु को उपभोग नहीं माना जाता है। यह बिंदु आरक्षित श्रेणियों के लिए उपलब्ध है और उनकी वरिष्ठता के क्रम में चयन के परिणामस्वरूप उपलब्ध उम्मीदवारों में से भरा जाना आवश्यक है।

निर्देश में यह भी कहा गया है कि "... इस संबंध में प्रशासनिक विभाग के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। हालांकि, राज्य का तर्क यह है कि नियुक्ति के कारण मेरिट सूची ने अपना जीवन काल पूरा कर लिया है, कोई भी ऐसी सूची से नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। हमें डर है कि इस तर्क की सराहना नहीं की जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है। लेकिन साथ ही, नियुक्ति प्राधिकारी चयन सूची तैयार करने के पीछे के पूरे निर्देश और उद्देश्य को विफल नहीं कर सकता है। यदि सूची की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति उत्पन्न हुई थी, तो निर्देश के अनुसार, चयन सूची में अगले उपलब्ध उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की वैध अपेक्षा और दावा था। यह रिक्ति 2014 में में नए सिरे से चयन शुरू होने से पहले उत्पन्न हुई थी। यहां तक कि बाद के चयन के लिए, बाल्मीकि/मजबी सिख के लिए आरक्षित पद अधिसूचित नहीं है। आरक्षण अन्य अनुसूचित जातियों के लिए है। राज्य के वकील ने कहा है कि बाल्मीकि/मजभी सिख की रिक्ति को भरा नहीं गया है और यह अभी भी उपलब्ध है। इसलिए, बाल्मीकि/मजबी सिख के लिए आरक्षित स्लॉट अभी भी उपलब्ध है और हमने ऊपर जो निर्देश निकाला है, उसके अनुसार इसे मेरिट सूची से भरना होगा। राज्य द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे में यह बताया गया है कि अपीलकर्ता विचार के लिए अगला व्यक्ति नहीं था। यह मनिंदर सिंह (नंबर 2) है और उसने भी प्रतिनिधित्व दिया था। चूंकि स्लॉट उपलब्ध है, इसलिए राज्य को मेरिट सूची से आरक्षित समुदाय से उस रिक्ति को भरना होगा। यदि नंबर 2 रुचि नहीं रखता है, तो स्वाभाविक रूप से यह अपीलकर्ता के पास जाएगा।

5. प्रतिवादियों को 20.06.2012 को प्रकाशित मेरिट सूची से वाल्मीकि/मजबी सिख के संबंध में नियुक्ति करने के निर्देश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है। आवश्यक कार्य दो महीने की अवधि के भीतर किया जाये। वरिष्ठता पर किसी भी विवाद से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित पदधारी को नियुक्ति की तारीख से ही वरिष्ठता मिलेगी।

अपील निस्तारित।

अनुवादक– **(कु० अफशॉ)**

अपर जनपद एवं सत्र न्यायधीश,

कक्ष संख्या–5, बरेली।